

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक

06 JAN 2023

आदेशः

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग एवं राजस्थान विधि रचना सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

(अ.) राजस्थान विधि सेवा

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	कैलाश राम इनानियां	07.07.1963	31.07.2023
2.	प्रकाश गुप्ता	30.09.1963	30.09.2023
3.	महेन्द्र कुमार बिडियासर	04.12.1963	31.12.2023

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	हरदयाल सिंह	05.06.1963	30.06.2023
2.	हरिराम पुरोहित	25.11.1963	30.11.2023
3.	चिमन सिंह	02.10.1963	31.10.2023

उप विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	सन्तोष कुमार पूनिया	21.09.1963	30.09.2023
2.	गोपाल लाल शर्मा	06.05.1963	31.05.2023
3.	रमेश कुमार आर्य	08.07.1963	31.07.2023
4.	कृपावती हर्ष	23.11.1963	30.11.2023
5.	विमला रामावत	11.04.1963	30.04.2023

(ब.) राजस्थान विधि रचना सेवा

संयुक्त शासन सचिव

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	टीकाराम शर्मा	17.07.1963	31.07.2023

उप शासन सचिव

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	भवानी शंकर नन्दवाना	07.07.1963	31.07.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव